

[(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)]

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002
Notification No. 16/2023-State Tax (Rate)

Dated: 21/12/2023

No. F.03 (17)/Fin.(Exp-I)/2023-24/DS-I/1069 - In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 9 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification, No. 17/2017- State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/375, dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification,

(i.) in clause (i), for the words "omnibus or any other motor vehicle", the words "or any other motor vehicle except omnibus" shall be substituted;

(ii.) after clause (i), the following clause shall be inserted, namely:-

"(ia) services by way of transportation of passengers by an omnibus except where the persons supplying such service through electronic commerce operator is a company."

(iii.) in the Explanation, after item (c), the following item shall be inserted, namely, -

"(d) "Company" has the same meaning as assigned to it in clause (20) of section 2 of the Companies Act, 2013(18 of 2013)."

2. This notification shall come into force with effect from the 20th day of October, 2023.

Note: - The principal notification No.17/2017- State Tax (Rate), dated the 30th day of June, 2017 was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/375, dated the 30th June, 2017 and was last amended by notification No. 17/2021 -State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3 (160)/Fin(Exp-I)/2021-22/DS-I/171, dated the 16th March, 2022.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Ravinder Kumar)
Dy. Secretary (Exp.-I)

scd Policy

Ac Policy

No. F.03 (17)/Fin.(Exp-I)/2023-24/DS-I/1069

Dated: 21/12/2023

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
3. The Principal Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- ✓ 4. The Principal Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
8. Joint Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
9. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
10. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.


(Ravinder Kumar)
Dy. Secretary (Exp.-I)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय-I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

अधिसूचना संख्या- 16/2023-राज्य कर (दर)

दिनांक: 21/06/2023

सं.फा.03(17)/वित्त(व्यय-I)/2023-24/डीएस-I/069 : दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, इस सरकार, की अधिसूचना संख्या 17/2017 राज्य कर (दर), जिसे सं.फा. 03(15)/वित्त(राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/375, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,

i. खंड (i) में, शब्दों "ऑम्निबस या कोई अन्य मोटर वाहन" के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों " या ऑम्निबस को छोड़कर कोई अन्य मोटर वाहन; प्रतिस्थापित किया जाएगा;

ii. खंड (i) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

" (क) किसी ऑम्निबस द्वारा यात्रियों के परिवहन के माध्यम से सेवाएं, सिवाय इसके कि जहां इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से ऐसी सेवा की आपूर्ति करने वाला व्यक्ति एक कंपनी है।";

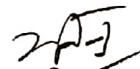
iii. अधिसूचना के स्पष्टीकरण में, मद (ग) के बाद निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्,-

"(घ) "कंपनी" का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (20) में इसे दिया गया है।"

2. यह अधिसूचना 20 अक्तूबर, 2023 से लागू होगी।

नोट : मूल अधिसूचना को दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV, में अधिसूचना संख्या 17/2017 राज्य कर (दर), जिसे सं.फा 03(15)/वित्त(राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/375, दिनांक 30 जून, 2017 दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV के तहत प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 17/2021, राज्य कर (दर) जिसे सं.फा. 03(160)/वित्त(राजस्व-I)/2021-22/डीएस-I/171, दिनांक 16 मार्च 2022 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर



(रविन्द्र कुमार)

उप सचिव (व्यय-I)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:

- 1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
- 2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग - चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
- 3 प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 4 प्रधान आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
- 5 माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 6 वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 7 विशेष सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 8 संयुक्त निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 9 नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
- 10 मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 11 वेब साइट।
- 12 गार्ड फाइल।


(रविन्द्र कुमार)

उप सचिव (व्यय-I)